कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या–1फ / पुनर्योजन / 2022–23 / लखनऊः दिनांक 15/03/2022

कार्यालय ज्ञाप

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सेवानिवृत्त विशेषज्ञ / सेवानिवृत्त एम0बी0बी0एस0 चिकित्सा अधिकारियों को सेवानिवृत्त के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन किये जाने के सम्बन्ध में शासन के चिकित्सा अनुभाग–2 द्वारा जारी शासनादेश संख्या–157 / सेक–2–पॉच–14–7(255) / 13 दिनांक 13.01.2014 शासनादेश संख्या–1858 / सेक–2–पांच–17–7(67) / 2017, दिनांक 22.06.2017 एवं शासनादेश संख्या–2996 / सेक–2–पांच–17–7(67) / 2017, दिनांक 19.07.2017 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नवीन पुनर्योजन / विस्तार के इच्छुक चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.03.2022 से 09.04.2022 तक ऑन–लॉइन वेबसाइट https://reappointmentportal.tsuprogram.com पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना है।

अतः वे सेवानिवृत्त विशेषज्ञ एवं सेवानिवृत्त एम0बी0बी0एस0 चिकित्सा अधिकारी जो दिनांक 31.03.2022 तक सेवानिवृत्त होगें, वे नवीन पुनर्योजन तथा जिनकी नियुक्ति पुनर्योजन के माध्यम से महानिदेशालय के आदेश दिनांक18.03.2021 द्वारा जारी की गयी है, सेवा विस्तार हेतु वेबसाइट http://dgmhup.gov.in का अवलोकन कर दिनांक 25.03.2022 से 09.04.2022 तक वेबसाइट https://reappointmentportal.tsuprogram.com पर ऑन–लाइन आवेदन कर सकते हैं।

(डा0 वेद व्रत सिंह)
महानिदेशक

संख्या–1फ / पुनर्योजन / 2022–23 / 850(4) तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–2

2– अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0 रतन स्क्वायर चतुर्थ तल, लखनऊ।

3– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

4– निदेशक (नियोजन एवं बजट), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप को वेबसाइड पर अपलोड करने का कष्ट करें।

15/3/22

अपर निदेशक(प्रशासन)

ई–मेल / आवश्यक

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

1– निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक, बलरामपुर, चिकित्सालय / डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लोकबन्धु राज नारायण, संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ, यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर।

2–समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।

3–समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका जिला (पुरूष / महिला) चिकित्सलय, उ0प्र0।

संख्या–1फ / पुनर्योजन / 848 **लखनऊः दिनांक** 15/03/2022

विषयः– पुनर्नियोजित चिकित्सकों के सेवाविस्तार के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या–प्रशि0प्रको0 / पुनर्योजन / 2021–22 / 485,497 ,508 एवं 519, दिनांक 18.03.2021 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

प्रश्नगत चिकित्सकों को सेवाविस्तार प्रदान किया जाना है महानिदेशालय स्तर पर पुनर्योजन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः वे चिकित्सक जिनकी परफार्मेन्स अच्छी हो उनके विपरीत कोई तथ्य न हो तथा आयु 65 वर्ष से अधिक न हो, सेवाविस्तार हेतु पूर्णरूप से पात्र हों, का परीक्षण अपने स्तर से करते हुए अग्रिम आदेशों तक कार्य लेते रहें एवं नियमानुसार वेतन का भुगतान करें। निकट भविष्य में पुनर्योजन हेतु आहूत बैठक में सेवाविस्तार हेतु विचारार्थ प्रस्तुत कर समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण पर समिति का निर्णय अन्तिम होगा जो सर्वबाध्यकारी होगा। भविष्य में सेवाविस्तार हेतु पोर्टल खुलने पर आन लाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चि करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

15.3.22

(डा0 वेद ब्रत सिंह)
महानिदेशक